

क्रमांक:- एफ.4(ई)(के-306/94/अलेसे-आ/1155

दिनांक :- 17-10-2024

कार्यालय आदेश

श्री कैलाश चन्द शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ कार्यालय कोषालय (शहर) जयपुर (आदेशों की प्रतीक्षा) के आवेदन पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड-1 के नियम -91 के अन्तर्गत उपार्जित एवं नियम-93 के अन्तर्गत रूपान्तरित अवकाश निम्नानुसार स्वीकृत किये जाते हैं।

क्र. स.	उपार्जित अवकाश अवधि	रूपान्तरित अवकाश अवधि (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार)	कुल दिवस
1	---	दिनांक 01.7.2024 से 15.7.2024	15 दिवस
2	दिनांक 16.7.2024	---	01 दिवस
3	---	दिनांक 17.7.2024 से 31.7.2024	15 दिवस
4	दिनांक 1.8.2024 से 15.8.2024	---	15 दिवस
5	---	दिनांक 16.8.2024 से 30.8.2024	15 दिवस
			कुल दिवस 61 दिवस

यह निदेशक महोदय के स्तर पर अनुमोदित है।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(के-306/94/अलेसे-आ/1155

दिनांक :- 17-10-2024

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृत उपार्जित/रूपान्तरित अवकाश अवधि का वेतन आपके कार्यालय में अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के रिक्त पद से आहरित करते हुए नियमानुसार सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करावें।
- कोषालय (शहर) जयपुर।
- श्री कैलाश चन्द शर्मा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ, कार्यालय कोषालय (शहर) जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक)